राधिका झा I.A.S
राज्य परियोजना निदेशक
शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग रायपुर, देहरादून
दूरभाष 0135-2781941, 42, 43
website: http://ssa.uk.gov.in
email - spd-ssa-uk@nic.in

अति आवश्यक

सेवा में,

समस्त जिला परियोजना अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0नि0 / 452 / नि0का0–दै0आ0 (32) / 2013–14 दिनांक 13 अगस्त, 2013

विषय : **दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नवीन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैवीय आपदा से आपके जनपद के कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए है, जिनकी सूची आपके द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है एवं भारत सरकार द्वारा इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य को रू0 753.26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त के क्रम में क्षतिग्रस्त विद्यालयों का तत्काल नवीन निर्माण किया जाना है। इसके लिए उपयुक्त भूमि की आवश्यकता होगी।

अतः भारत सरकार द्वारा दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त स्वीकृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि तत्काल उक्त विद्यालयों के नवीन निर्माण हेतु निकटस्थ ऐसे सुरक्षित भूमि का चयन करें जहाँ बच्चों के आवागमन की सुलभता हो। भूमि उपलब्ध प्रमाण–पत्र एवं चयनित स्थान के फोटोग्राफ सम्बन्धी सूचना संलग्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा सकें।

भवदीया

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0: रा0प0नि0 / 452 / नि0का0–दै0आ0(32) / 2013–14 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– 1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु अपना सहयोग देने का कष्ट करें।

(राधिका झा) 12/8
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

O/C

<u>प्रारूप</u>

जनपद का नाम–

नवीन निर्माण हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	क्या विद्यालय का निर्माण पूर्व के स्थल पर किया जाना है (हाँ/नहीं)	जहाँ विद्यालय का निर्माण किया जाना है क्या वह भूमि सुरक्षित एवं उस स्थान पर बच्चों के आवागमन की सुलभता है?
1	2	3

नोटः—1. पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवन के फोटोग्राफ्स संलग्न करें।
2. जहाँ विद्यालय का निर्माण किया जाना है उस स्थान का फोटोग्राफ्स संलग्न करें।
3. भूमि उपलब्ध प्रमाण पत्र संलग्न करें।

सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर

सी0आर0सी0
का नाम एवं हस्ताक्षर

अध्यक्ष
विद्यालय प्रबन्धन समिति
का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला परियोजना अधिकारी
का नाम एवं हस्ताक्षर